राजस्थान सरकार

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय परिसर, जोधपुर W-6, गौरव पथ, जोधपुर
Tel : 0291.2636072, 2632359 Fax : 0291.2632360, 2632329
E-Mail : exam.dte.trg.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9 ( )/आरसीवीईटी/प्र–5/परीक्षा/2019/65908 दिनांक– 22/1/19

श्रीमान् प्रधानाचार्य/अधीक्षक(समस्त राजकीय/निजी आई.टी.आई.)
श्रीमान् सदस्य सचिव/आचार्य (समस्त जिला स्तरीय राजकीय आई.टी.आई)
श्रीमान् नोडल अधिकारी (समस्त)

विषय :– NCVT प्रायोगिक परीक्षा जनवरी 2019 के Hall ticket में दर्शाये गये प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र व planning chart मे दर्शाये गये प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र में अन्तर पर स्थिति स्पष्ट करने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है किः–

1. निदेशालय की परीक्षा शाखा द्वारा अपने पास उपलब्ध eligible अभ्यार्थियो की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की mapping, DGT के निर्देशानुसार परीक्षा से एक माह पूर्व MIS Portal पर की जाती है। जिसके आधार पर DGT द्वारा Hall ticket जारी किये जाते है तथा इसी अनुरूप Hall ticket पर प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित होता हैं। यदि उक्त mapping निर्धारित समय पर नही की जाये तो DGT द्वारा Hall ticket जारी नहीं किये जाते है।
2. परीक्षा के आवेदन भरने पर वास्तविक रूप से परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों की संख्या उपरोक्त eligible अभ्यार्थियो की संख्या से काफी कम होती है।
3. परीक्षा शाखा द्वारा जारी किया जाने वाला planning chart SSO ID / चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कराने व Roll list मे शामिल छात्रों की संख्या के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए जारी किया जाता है इस कारण DGT द्वारा जारी Hall ticket में दर्शाये गये प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों व प्रायोगिक परीक्षा planning chart में दर्शाये प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों में भिन्नता हो सकती है।
4. इस हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 65815 दिनांक 16.01.19 के बिन्दु संख्या 3 व प्रत्येक planning chart के नीचे note के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि समस्त संस्थान प्रधान अपनी संस्थान के प्रायोगिक परीक्षार्थीयों को planning chart के अनुसार निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के लिये उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें। अगर कोई परीक्षार्थी उक्त planning chart के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित नही होता है तो उसकी प्रायोगिक परीक्षा कराया जाना संभव नहीं होगा।
5. अतः इस पत्र के द्वारा समस्त राजकीय व निजी आई.टी.आई. के अधीक्षकों/प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी संस्थान के ऐसे छात्रों को निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर पहुचने हेतु पाबन्द करें। इसके अलावा यदि आपकी संस्थान के planning chart में दर्शाये गये संभावित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र जिनका नाम रोल लिस्ट में है/जिनके पास Hall ticket है उनके बारे में तुरन्त जिला स्तरीय प्रायोगिक परीक्षा संचालन समिति को सूचित करते हुए उनके द्वारा निर्धारित किये गये प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित दिनांक व समय पर पहुचने हेतु पाबन्द करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलिता बरतने पर सम्बन्धित संस्थान प्रधान/छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगें।

Note:-उक्त व्यवस्था मात्र प्रायोगिक परीक्षा हेतु ही लागू है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

उपनिदेशक (परीक्षा)

क्रमांक : प.स.9 ( )/आरसीवीईटी/प्र–5/परीक्षा/2019/ 65909-911 दिनांक– 22/1/19

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को पालना सूनिश्चित कराने हेतु।

1. उपनिदेशक (प्रशिक्षण), क्षैत्रीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा(समस्त) ।
2. श्रीमान् सदस्य सचिव/आचार्य (समस्त जिला स्तरीय राजकीय आई.टी.आई)
3. श्रीमान् नोडल अधिकारी (समस्त)

(हस्ताक्षर)

उपनिदेशक (परीक्षा)